PAGE 1 OF 4	अभियोजन साक्षी संख्याः 01

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1225/2025		
राज्य	**बनाम**	मोहित निषाद आदि

नाम साक्षीः अजय वीर सिंह पुत्र रणधीर सिंह	अपराध संख्या-52/2025
उम्रः लगभग 42 वर्ष, पेशाः भारतीय थल सेना	धारा- 109(1), 140(1), 117(2), 333, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा-9/25 आयुध अधिनियम
वर्तमान पता साक्षीः ग्राम कोठरा मकरंदपुर, थाना-सजेती, जनपद-कानपुर नगर।	थाना-सजेती, कानपुर नगर।

दिनांकः-20.01.2026

मैं **साक्षीः अजय वीर सिंह पुत्र रणधीर सिंह, उम्रः लगभग 42 वर्ष, पेशाः भारतीय थल सेना, वर्तमान पता साक्षीः ग्राम कोठरा मकरंदपुर, थाना-सजेती, जनपद-कानपुर नगर** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. हम छह भाई हैं। मेरे सबसे बड़े भाई का नाम अशोक सिंह है। उसके बाद अरुण सिंह, राजा जनक सिंह हूँ। उसके बाद मैं हूँ। मेरे बाद अनिरुद्ध सिंह है। मेरा सबसे छोटा भाई पंकज सिंह है। मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। राजा जनक सिंह आर्मी में थे। राजा जनक सिंह वर्तमान में कानपुर में निवास करते हैं। अनिरुद्ध सिंह वर्तमान समय में आर्मी में हैं। गाँव में मेरे भाई अरुण सिंह, अशोक सिंह व पंकज रहते हैं। मेरा मकान भी घाटमपुर में है। मेरा परिवार घाटमपुर में रहता है। अरुण सिंह खेती करते हैं और गाँव में देशी शराब ठेका के बगल में पान-मसाला की दुकान किये हैं।

2. मेरे भाई अरुण सिंह का छोटा बेटा अनुभव पढ़ता है। कभी-कभी अनुभव अपने पिता अरुण के न रहने पर पान-मसाला की दुकान में बैठता है।

3. दिनांक 06.03.2025 समय 09.30 बजे रात की बात है। उस रात अनुभव अपने पिता की पान-मसाला की दुकान खोले हुए बैठा था कि तभी गाँव के ही मोहित निषाद, मुकेश निषाद, पिंटू यादव व लोकेन्द्र, मेरे भतीजे अनुभव की पान-मसाला की दुकान पर आये। उपरोक्त लोग अनुभव से दारु पीने के लिए तीन हजार रुपये मांगने लगे। मेरे भतीजे अनुभव ने मना करते हुए कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो इस पर

उपरोक्त अभियुक्तगण मेरे भतीजे अनुभव के साथ गालीगलौच करने लगे। उपरोक्त लोग अनुभव की दुकान के अंदर घुसकर कट्टा लगाकर अनुभव को अपहरण करके ले गये और अनुभव को ले जाकर लोहे की राड व हाकियों से मारपीट कर अनुभव को मरणासन्न हालत में कर दिया। उपरोक्त अभियुक्तगण ने अनुभव को मरणासन्न हालत में तालाब के पास फेंक दिया और कहा कि अगर कहीं शिकायत करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे।

4. इस घटना की जानकारी मेरे भाई अशोक सिंह के बेटे अंकित सिंह ने मुझे दी थी। उस समय मैं घाटमपुर स्थित अपने मकान पर था। इस घटना की सूचना पर मैं लगभग बीस मिनट बाद घटनास्थल पर पहुँच गया था। घटनास्थल पर मेरे परिवार के लोग, गाँव के लोग व आसपास के लोग मौजूद थे। मैंने अनुभव को देखा था। अनुभव के माथे, सिर, पैर व शरीर में कई जगह चोटें थीं। हमलोग अपने भतीजे अनुभव को लेकर पहले थाने गये थे। हालत गंभीर होने के कारण थाने से अनुभव को घाटमपुर स्थित सरकारी अस्पताल उपचार हेतु भेज दिया गया था। सरकारी अस्पताल, घाटमपुर के चिकित्सकों ने अनुभव की हालत गंभीर होने के कारण उसे उर्सला अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया था। मैं भी अनुभव के साथ उर्सला अस्पताल कानपुर गया था। उर्सला अस्पताल कानपुर में इलाज के दौरान अनुभव ने घटना के बारे में पूरी बात बतायी थी।

5. इस घटना की तहरीर मैंने थाना सजेती में दिनांक 08.02.2025 को दी थी जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। साक्षी ने तहरीर पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। तहरीर पर **प्रदर्श P-1** अंकित किया गया।

6. पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। पुलिस को मैंने सारी बातें बता दी थीं।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्त मुकेश निषाद व पिंटू यादव

7. घटना के समय मैं घाटमपुर स्थित अपने घर पर था। घटना के समय मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। मैंने अपनी आँखों से किसी को मारते-पीटते नहीं देखा है। मेरे घाटमपुर वाले घर से घटनास्थल की दूरी लगभग चौदह कि०मी० की है। गांव वाले घर से घटनास्थल की दूरी लगभग आठ सौ मीटर की है। गाँव में ही शराब की दुकान है। गाँव में ही मेरे भतीजे अनुभव की दुकान है।

8. घटना रात लगभग साढ़े नौ बजे की है। घटनास्थल (दुकान) पर लाइट थी। अनुभव की दुकान पर लाइट थी। घटना के बारे में मुझे उसी रात लगभग दस बजे पता चला था। घटना की सूचना मेरे बड़े भाई अशोक सिंह के बेटे अंकित सिंह ने मुझे दी थी। सूचना मिलने के लगभग बीस मिनट बाद मैं घटनास्थल पर पहुंच गया था। मैं अपनी बाइक से घटनास्थल पर गया था। मैं जिस बाइक से घटनास्थल पर गया था उसका नम्बर मुझे इस समय याद नहीं है। मेरे सामने अभियुक्तगण ने अनुभव

से दारु के लिए पैसे की मांग नहीं की थी। भतीजे अनुभव ने मुझे बताया था इसलिए मैं अभियुक्तों के नाम जानता हूँ। मुझे मालूम है कि अभियुक्तों ने किस चीज से अनुभव को मारा था। अभियुक्तों के हाथ में लोहे की राड, हाकी और कट्टा भी था। पिंटू के हाथ में कट्टा व अन्य तीनों अभियुक्तों के हाथ में लोहे की राड और हाकी थी। मेरे पास वीडियो भी है।

9. जिस स्थान पर घटना घटी उस स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उन्हीं सीसीटीवी कैमरों में सारी घटना रिकार्ड हुई है।

10. यह बात सही है कि घटना के बाद अभियुक्त लोकेन्द्र यादव की मृत्यु हो गयी है।

11. मैं दिनांक 08.02.2025 को मुकदमा लिखाने थाने गया था। दो दिन मैं अस्पताल में था। मैंने अपने भाई को अस्पताल में खर्चे के लिए दस-बारह हजार रुपये दे दिये थे।

12. जब मैं घटनास्थल पर पहुँचा था तब मेरा भतीजा अनुभव घटनास्थल पर ही मिला था। हमलोग भतीजे अनुभव को थाने लेकर गये थे। अनुभव को थाने से सरकारी अस्पताल घाटमपुर भेज दिया गया था।

13. तहरीर मैंने घाटमपुर में लिखवायी थी। तहरीर मैंने किसी टाइपिस्ट से टाइप करवायी थी। दिनांक 08.02.2025 की शाम लगभग सात बजे मैंने थाने में तहरीर दी थी। उसी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन मुकदमा कितने बजे दर्ज हुआ था इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

14. दरोगा जी ने घर आकर मेरे बयान लिये थे। यह बात मेरे भतीजे ने मुझे बतायी थी कि अभियुक्तगण, उससे दारु के लिए तीन हजार रुपये मांग रहे थे।

15. यह सही है कि मैंने स्वयं घटना घटित होते हुए नहीं देखी।

16. यह कहना गलत है कि मेरे परिवार से दुश्मनी होने के कारण मैंने अभियुक्तों के नाम झूठी एफआईआर दर्ज करा दी हो।

प्रतिपरीक्षा द्वारा शेष अभियुक्त मोहित निषाद

17. मैं इस समय फौज में कार्यरत हूँ। वर्ष में मुझे नब्बे दिन की छुट्टी मिलती है। जब मुझे आवश्यकता होती है तभी मैं छुट्टी ले सकता हूँ। चुनाव में मैं वोट डालने घर नहीं आता हूँ क्योंकि मेरा वोट ड्यूटी स्थल से ही पड़ जाता है। जिस समय की घटना है उस समय मैं छुट्टी पर था।

18. यह घटना मेरे सामने नहीं हुई। इस घटना को कारित करते हुए मैंने किसी अभियुक्त को नहीं देखा। इस घटना की जानकारी मुझे उसी रात लगभग दस बजे मिली थी। इस घटना की जानकारी मुझे मेरे भतीजे अंकित ने फोन से दी थी। यह फोन मेरे पास दस बजे रात को आया था। मुझे मोबाइल नम्बर याद नहीं है। सूचना मिलने के बाद मैं गाँव गया। फिर गाँव से मैं थाने गया। जब मेरे पास फोन आया था वहाँ से मेरे गाँव की दूरी चौदह कि०मी० की है। गाँव से थाने की दूरी आठ-नौ कि०मी० की है।

19. मैं गाँव से थाने लगभग बीस मिनट में पहुँच गया था। यह प्रार्थना पत्र मैंने तहसील में टाइप कराया था। इसके बाद मैंने यह प्रार्थना पत्र थाने में दे दिया था।

20. यह कहना गलत है कि मैं फौज में हूँ इसलिए गाँव के लोग मुझसे खौफ खाते हैं इसलिए मैंने अभियुक्तों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराया हो।

21. मैं गाँव के सभी अच्छे लोगों को जानता हूँ। गाँव में जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके साथ मेरा कोई उठना-बैठना नहीं है।

22. यह कहना गलत है कि मेरे भतीजे अनुभव के साथ कोई घटना न घटित हुई हो।

23. यह भी कहना गलत है कि मेरे भतीजे अनुभव का एक्सीडेंट हुआ हो।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
लिपिक द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

hans

h